लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
100/2021 (GCMS 2021/459)	18.10.2021	30.11.2021

अनवान

बद्रीलाल पिता कालूराम जाट निवासी रावतिया पोस्ट पारी, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 26.07.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./100/2021(सू.अ.)(16.11.2021) एवं (30.11.2021) से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भूपालसागर को दिनांक 30.11.2021 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 30.11.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

बावजूद सूचना भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भूपालसागर ने अपने पत्र क्रमांक/भू.अ./सू.का अधिकार/2021/913 दिनांक 22.11.2021 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के बिन्दु 1 व 2 के तहत ग्राम रावतिया तहसील भूपालसागर में वर्ष 1954 में जारी किये गये बापी पट्‌टे इस कार्यालय में उपलब्ध हैं या नहीं, तथा उक्त बापी पट्‌टे की नामान्तरण करने की कार्यवाही करने के लिये सक्षम अधिकारी कौन है कि सूचना चाही गई है।

प्रकरण में चाही गई सूचना वर्ष 1954 की है जबकि तहसील भूपालसागर वर्ष 2013 में नवसृजित हुई है आवेदक द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है एवं बापी पट्‌टे की आबादी भूमि में नामान्तरण की कार्यवाही करने का राजस्व नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

यह कि आवेदक द्वारा यह चाहा गया कि उसके द्वारा चाही गई सूचना संबंधी रेकार्ड कहां मिलेगा इस बाबत् भी इस कार्यालय में सूचना/ रेकार्ड/आधार उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त सूचना इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है।

इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक/भू.अ./सू.अ./686 दिनांक 25.08.2021 द्वारा आवेदक को सूचित कराया जा चुका है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भूपालसागर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/भू.अ./सू. का अधिकार/2021/913 दिनांक 22.11.2021 से प्रेषित कर्मेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन-मनन किया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को अपने पत्रांक/भू.अ./सू.अ./686 दिनांक 25.08.2021 से बिन्दु संख्या 2 में वांछित सूचना उपलब्ध करा दी गई है। एवं बिन्दु संख्या 1 द्वारा राजस्व ग्राम रावतिया का वर्ष 1954 में जारी किए गए बापी पट्‌टे का रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी चाही गयी थी जिसके संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/भू.अ./सू. का अधिकार/2021/913 दिनांक 22.11.2021 द्वारा प्रेषित कमेन्ट्स में अवगत कराया कि प्रकरण में चाही गई सूचना वर्ष 1954 की है जबकि तहसील भूपालसागर वर्ष 2013 में नवसृजित हुई है आवेदक द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 2 में वांछित सूचना में यह तो सूचित किया गया कि बापी पट्‌टे की जानकारी लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है परन्तु आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह जानकारी भी चाही गयी थी कि यदि बापी पट्‌टे संबंधित जानकारी लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तो उक्त रिकॉर्ड वर्तमान मे कहां मिलेगा। लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को यह सूचना नहीं दी गयी कि वर्ष 1954 के ग्राम रावतिया के बापी पट्‌टे की जानकारी वर्तमान में कहां मिलेगी। सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आवेदक को बिन्दु संख्या 1 के संबंध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं करा केवल आंशिक सूचना दी जाना खेदजनक है।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, भूपालसागर को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी के आवेदन द्वारा बिन्दु संख्या 1 द्वारा वांछित सूचना का पूर्ण, स्पष्ट एवं संतुष्टीपूर्ण जवाब प्रेषित कर पालना से अवगत करावें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भूपालसागर एवं अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 30.11.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

(तारा चन्द मीणा) (I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय अधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

(तारा चन्द मीणा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official